राजभाषा कार्यान्वयनः एक विश्लेषण

प्रो. (डा.) आशा कपूर,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
रूड़की

वर्तमान शिक्षा में हिन्दी का स्थान नगण्य-सा है और अपेक्षा यह की जाती है कि राजभाषा के रूप में प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी को अपनाया जाए। राजभाषा प्रयोग में अपेक्षित प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। मेरे विचार से निम्नलिखित कारण उत्तरदायी कहे जा सकते हैं-

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान
National Institute of Hydrology
11451
16/3/16
Roorkee
रुड़की

1- शिक्षा में हिन्दी का स्थान

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बाल हृदय पर यह छाप छोड़ दी जाती है कि हिन्दी अपनी भाषा है, इसे सीखने का कोई महत्व नहीं है। परिणामतः न तो वर्णमाला का सही ज्ञान कराया जाता है और न हिन्दी में गिनती सीखना आवश्यक समझा जाता है। इसी कारण तीस से आगे हिन्दी के अंक जानने वालों की संख्या अत्यन्त विरल है। अभिभावक सहित शिक्षक भी इसे आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम मानकर आनंदित होते हैं।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग करने की अनिवार्यता बतायी जाती है उसे शिक्षा में कहीं भी सम्मान नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं उच्च शिक्षा के लिए तो हिन्दी को अक्षम सिद्ध कर दिया गया है। प्रश्न उठता है कि जब सम्पूर्ण शिक्षा में हिन्दी का स्थान महत्वहीन हो गया है तो वह राजभाषा के रूप में कैसे स्थापित हो सकती है?

जीवन के पच्चीस वर्षों तक अंग्रेजी की अनिवार्यता, तदनन्तर हिन्दी में प्रशासनिक कार्य करने की बाध्यता। दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। मुख्य रूप से यही कारण है कि उच्च पदासीन होने के उपरान्त राजभाषा अपनाने के प्रति दायित्व बोध जाग्रत नहीं होता।

इस सम्बन्ध में श्री हरिबाबू कंसल के शब्दों में कहना उचित होगा- प्रशासनिक क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व है इसलिए नहीं कि हिन्दी दुर्बल है अपितु इसलिए कि भारतवासियों को अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था, तथा उन्होंने इस क्षेत्र में हिन्दी अपनाने का निश्चय नहीं किया। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अनिवार्य है किन्तु हिन्दी का नहीं। इस प्रकार हिन्दी पढ़ने की अनिवार्य आवश्यकता नहीं रह जाती है और अंग्रेजी का वर्चस्व बना रह जाता है। यही सचिव स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी बनकर राजभाषा हिन्दी को यथोचित स्थान प्रदान करने में प्रायः असमर्थ रहते हैं।

2- भाषा की कठिनता

भाषा विचारों के परस्पर आदान-प्रदान का माध्यम होती है। भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, संप्रेषण में उतनी ही सफल और सशक्त होगी। राजभाषा विषयक पारिभाषिक शब्दों का निर्माण प्रचलित शब्दों से हटकर किया गया है, जिससे वे जटिल और बोझिल बनकर कृत्रिम प्रतीत होते हैं, पूर्व प्रचलित शब्दों को भी बदल दिया गया है, जैसे-

रसीद के स्थान पर पावती, टेंडर के स्थान पर निविदा, शिकायत-परिवेदना, निदेशक व निर्देशक- डायरेक्टर के लिए दो शब्दों का प्रयोग, फार्म-प्रपत्र, सिफारिश- अनुशंसा इत्यादि। इस प्रकार के शब्दों की सूची बहुत लम्बी है। यदि प्रचलित शब्दों का व्यवहार करने की छूट दी जाए तो राजभाषा हिन्दी का प्रयोग आगे बढ़ जाये।

इतना ही नहीं शब्दकोष से विभिन्न पर्यायों में से कठिनतम शब्द का प्रयोग किया जाना एक कारण है।

किसी वैज्ञानिक लेख में Ventilation के लिए संवातन शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि शब्दकोष में वायु संचार भी दिया गया था। क्या ऐसे लेख को रूचिपूर्वक पढ़ा जाएगा ? नहीं, हिन्दी पर कठिनता का आरोप अवश्य लगा दिया जाएगा।

सरकारी पत्राचार आदेश, फाईलों पर टिप्पणियां जिस भाषा में लिखी जाती हैं, व्यावहारिक अर्थों में वह राजभाषा होती है, किन्तु इसे समझना हिन्दी का सम्यक् ज्ञान रखने वाले के लिए भी दुरूह होता है। प्रायः यह कहा जाता है कि ऐसी हिन्दी से तो अंग्रेजी ही ठीक है। तो यहां हिन्दी के प्रति दूरी किसने बढ़ाई। हम हिन्दी वालों ने ही ऐसे शब्द गढ़ दिये जिससे अपनी भाषा से विराग हो गया।

प्रायः हिन्दी भाषी क्षेत्रों में मूल-पत्र अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं, उनका अनुवाद हिन्दी में कर दिया जाता है. इससे द्विभाषिकता के नियम धारा 3 (3) का अनुपालन हो जाता है। इस प्रकार राजभाषा हिन्दी अनुवाद की भाषा

बनकर रह गई है उसमें स्वाभाविकता, प्रवाह एवं मौलिकता का अभाव दिखाई देता है।

3- राजभाषा का प्रयोग किस स्तर पर हो?

राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवर्ष चार कार्यशालाएं आयोजित की जानी आवश्यक हैं। इनमें विशेष रूप से ख तथा ग वर्ग के कर्मचारी भाग लेते हैं और उनकी किसी सीमा तक हिन्दी प्रयोग करने की मानसिकता भी बन जाती है किन्तु क वर्ग के अधिकारीगण अंग्रेजी प्रयोग के अभ्यस्त होने के कारण इसका व्यामोह छोड़ नहीं पाते हैं और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुतः राजभाषा का प्रयोग निचले स्तर से नहीं ऊपर के स्तर से करना होगा।

केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को हिन्दी में काम कराने का पाठ पढ़ाना हिन्दी को दूसरे दर्जे की भाषा बनाना होगा। जब ऊपर स्तर के अधिकारी अपना काम हिन्दी में करने का आदर्श प्रस्तुत करेंगे तब नीचे स्तर के कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और हिन्दी अपने राजभाषा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी।

कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का अधिकतर ध्यान स्थान, भ्रमण, दी जाने वाली सामग्री के प्रति रहता है। उन्हें भलीभांति ज्ञात है कि बिना अधिकारी वर्ग की इच्छा के राजभाषा का रथ तीव्र गति नहीं पकड़ सकता है। थोड़ी बहुत आंकड़ों में वृद्धि अवश्य हो जाएगी।

4- मीडिया में हिन्दी का स्वरूप

एक ओर राजभाषा के रूप में हिन्दी का क्लिष्ट एवं असहज किन्तु शिष्ट स्वरूप दिखाई देता है, दूसरी ओर मीडिया की हिन्दी में इस भाषा के केवल छींटे

दिखाई देते हैं या फिर अमर्यादित, अप्रचलित शब्दों की भरमार रहती है। यह सच है कि लिखित एवं बोलचाल की भाषा में अन्तर रहता है किन्तु शिष्टता एवं मर्यादा का निर्वाह सर्वत्र किया जाता है।

दूरदर्शन के सभी चैनलों पर समाचार में चलताऊ हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है- भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी, अमुक ने अमुक को लताड़ा, जमकर बरसे, घमासान इत्यादि शब्दों से भाषा की सामर्थ्य नहीं अपितु फूहड़पन झलकता है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नामों के पूर्व आदरसूचक शब्दों का प्रयोग लुप्त हो गया है- कलाम ने कहा, मनमोहन बोले, अटल ने चुटकी ली इत्यादि।

विदित है कि भाषा सीखने के लिए समाचार पत्रों तथा रेडियो से प्रसारित समाचारों को सशक्त माध्यम समझा जाता था, किन्तु आज ऐसा नहीं है। भाषागत एवं वाक्यगत त्रुटियों को देखकर आश्चर्य होता है।

एक अन्य उदाहरण, ख्यातिप्राप्त दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण (30 दिसम्बर 2005 कानपुर संस्करण) में प्रकाशित समाचार का एक नमूना देखें, जिसमें हिन्दी के शब्द केवल सर्वनाम एवं क्रिया तक सीमित हैं-

लाल गुब्बारों का डेकोरेशन। हर वीकेंड पर रेव थ्री स्थित डिस्कोथेक फिलिक्स में आयोजित होने वाली वीकेंड पार्टी इस शनिवार पूरी तरह क्रिसमस के रंग में रंगी नजर आई। अन्य उदाहरण- अपने नाती की फर्स्ट बर्थ डे पर ..... माम, नेहा, नॉटी लुकिंग बर्ड डे ब्वॉय, फ्रेंड विकास, डेकोरेशन आइटम्स इत्यादि।

क्या इसे हिन्दी कहा जाए या देवनागरी लिपि में अंग्रेजी शब्दों को हिन्दी मान लिया जाये- यह निर्णय सुधीजन करेंगे।

राजभाषा के सफल क्रियान्वयन में मीडिया में प्रयुक्त हिन्दी की भी बड़ी भूमिका है- एक ओर तत्सम शब्दों से युक्त भाषा प्रयोग करने की अनिवार्यता है, वहीं मीडिया में धडल्ले से अंग्रेजी तथा चलताऊ भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। विचार करें- दोनों रूपों में कितना विरोधाभास है ?

यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि वर्तमान शिक्षा में हिन्दी का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। सम्पूर्ण दिवस में केवल कुछ समय के लिए प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग किया जाना है वह भी उत्साहपूर्वक नहीं, अपितु बाध्यतावश, फिर मीडिया में प्रयुक्त हिन्दी को सुनना अथवा पढ़ना। कैसे राजभाषा के अनुपालन के लिए स्वंय को तैयार करें, परिणामतः स्मरण नहीं रहता है-

हिन्दी में हस्ताक्षर करना
पत्रों में हिन्दी में पते लिखना, तथा
हिन्दी में द्विभाषी फार्म भरना।

उपर्युक्त विश्लेषण का अर्थ यह नहीं है कि राजभाषा क्रियान्वयन की स्थिति निराशाजनक है अपितु यह स्पष्ट करना है कि जिस निष्ठा से हिन्दी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया था वह सर्वत्र दृष्टिगत नहीं हो रही है। ऐसा समझा जाने लगा है कि केन्द्रीय उपक्रमों, संगठनों, संस्थानों तथा मंत्रालयों में स्थित केवल हिन्दी प्रकोष्ठ अथवा इनसे सम्बद्ध अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए

ही राजभाषा का अनुपालन करना आवश्यक है। अपनी भाषा प्रयोग करने पर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार, पदक मानपत्र, वेतन वृद्धि इत्यादि प्राप्त करना भी उचित नहीं प्रतीत होता है, ऐसा उदाहरण विश्व में कहीं नहीं मिलता है।

भाषा केवल प्रयोग से आगे बढ़ती है जैसे कि अंग्रेजी भाषा। हिन्दी में सर्वत्र श्रेष्ठ वाक्यों अथवा नारों के बोर्ड लगा देने को प्रयोग नहीं कहा जा सकता है अपितु प्रत्येक नागिरक को हिचकिचाहट, हीन मानसिकता अथवा प्रलोभन के बिना इसे उन्मुक्त हृदय से अपनाना होगा,तभी हम अपने दायित्व निर्वाह में सफल हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथः

1- राजभाषा भारती, हरिबाबू कंसल, जुलाई-सितम्बर, 2002, पृ. 14.

2- हिन्दी भाषा, राजभाषा और लिपि - डा. परमानंद पांचाल, वर्ष 2001.

3- दैनिक जागरण (30 दिसम्बर 2005) - साभार.